न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
180/13	24.07.13	20.10.22

उनवान

1. असरपी पत्नी असरूप
2. आस मोहम्मद पुत्र छीतर
3. इसराईल पुत्र सिताब
4. जूहरूदीन पुत्र छीतर
5. ताहिर पुत्र असरूप
6. नूरदीन पुत्र छीतर
7. मुबीना पुत्री असरूप
8. रहमूदीन पुत्र छीतर
9. सौदाना पुत्र सिताब जाति मेवान निवासीयान दोहडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

:— वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. जमील पुत्र महताब
2. साहबदीन पुत्र महताब
3. सबीला पत्नी बसीर
4. साईमा पुत्री बसीर नाबालिक
5. वसीम पुत्र बसीर नाबालिक
6. काला पुत्र बसीर नाबालिक
7. बग्गा पुत्र बसीर नाबालिक जरिये सरपरस्त माता खुद सबीला पत्नी बसीर जाति मेव निवासी दोहडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

प्रा0पत्र 212 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः—1. श्री धीरसिंह चौधरी वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2.श्री कमरूदीन वकील अप्रार्थीण की ओर से।

निर्णय

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है आराजी खसरा संख्या हाल 171 रकबा 0.6500हे0, 220 रकबा 0.2300हे0, 238 रकबा 0.4700हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3500हे0 वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर स्थित है। जो आराजी प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2073—78 संलग्न है।. आराजी खसरा संख्या हाल 171 रकबा 0.6500हे0, 220 रकबा 0.2300हे0, 238 रकबा 0.4700हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3500हे0 वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में मिन वादी संख्या 1 का 1/27 भाग, वादी संख्या 2 का 1/12 भाग, वादी संख्या 3 का 1/9 भाग, वादी संख्या 4 का 1/12 भाग, वादी संख्या 5 का 1/27 भाग, वादी संख्या 6 का 1/12 भाग, वादी संख्या 7 का 1/27 भाग, वादी संख्या 8 का 1/12 भाग, वादी संख्या 9 का 1/9 भाग यानि कुल आराजी का 2/3 भाग हम वादीगण कब्जे काश्त खातेदारी की शामलाती आराजी है। विवादित आराजी का हम पक्षकारान के दरम्यिान आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है तथा विवादित आराजी पर हम पक्षकारान सामलात में ही काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे हैं तथा कानमनन जब तक विवादित आराजी का वास्तविक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच भाग भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार का पूर्ण हक हिस्सा निहित है। .प्रतिवादीगण आये दिन हम वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते हैं तथा अब विवादित आराजी का बिला तकासमा कराये ही विवादित आराजी को बेचान करना चाहते हें ऐसी सूरत में अब हम वादीगण का प्रति0 के साथ सामलात में काबिज रहकर काश्त करना संभव नही रहा हैइसलिये हम वादीगण अपने हिस्से 2/3 भाग का तकासमा बाई मीट्स एण्डस बाउण्ड्स कराकर अलग से कुरेजात कायम कराने व अलग से लगान खाता कायम कराने का हकदार हैं व अलग से दखल प्राप्त करने के हकदार हैं जिसके लिऐ दावा तकासमा दायर करना लाजिम आया है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 25—6—2021 को हम वादीगण के सामलाती कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा की तथा प्रतिवादीगण द्वारा हम वादीगण को ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि वो विवादित आराजी का बिना तकासमा कराये ही बेचान करेंगे व निर्माण करेंगे, एवं वादीगण को सामलात में काश्त कारोबार करने नहीं देंगे। यदि वाकई प्रतिहवादीगण अपने इन नापाक मंसूबों में कामयाब हो गये तो वादीगण को हर सूरत में अजहद हानि होगी दीगर मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा हकूक वादीगण पर आवरण छा जावेगा वादीगण को अपनी कब्जा कश्त खातेदारी की आराजी के उपयोग उपभोग से बेजा महरूम होना पड जावेगा जिसकी पूर्ति किसी भी कीमत में रूपयों नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिये वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबंद कराने का हकदार है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी से जब्रन वादीगण को बेदखल ना करें, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना ही आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल करे। राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

यह है कि सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति बहक प्रार्थीगण/वादीगण है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थी/प्रति0 को ता फैसला दावा जरिये हुक्मइम्तनाई चंदरोजा पाबंद किया जाये कि वो आराजी हाल खसरा संख्या 171 रकबा 0.6500हे0, 220 रकबा 0.2300हे0, 238 रकबा 0.4700हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3500हे0 वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर से जब्रन वादीगण को बेदखल ना करें, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करें, ना ही आराजी मुतदाविया में नींव खोदकर कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें, ना ही आराजी का कोई जुज किसी भ्झी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल करें। राजस्व रिकॉर्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा वकील अप्रार्थी को एकपक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 30.6.2021 से 2.8.2021 तक इस अमर पाबन्द किया गया कि वो आराजी ख0न0 171 रकबा 0.6500हे0, 220 रकबा 0.2300हे, 238 रकबा 0.4700 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.3500 वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढबास में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। तत्तपश्चात अप्रार्थी सं0 1 लगा0 8 ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का इस आराजी से विवादित आराजी मे वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रति0 सं0 1 लगा0 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–2 हिस्से पर शान्तिपूर्वक काश्त कारोबार करते चले आ रहे है तथा अपने–2 हिस्सानुसार लगान सरकारी भी अलग–2 अदा करते चले आ रहे है। मौके पर कब्जानुसार बुर्जुगान के समय से ही अर्सा दराज से बहामी बटवारा सभी पक्षकारान के मध्य हो रहा है ऐसी सूरत में कोई बटवारा नही होने व सामलात में काश्त कारोबार करने का सवाल ही पैदा नही होता है। ऐसी सूरत में वादीगण के अधिकार रक्षित होने का सवाल ही पैदा नही होता है वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से वादपत्र अदालत में प्रस्तुत किया है जो हर सूरत में काबिले खारिज है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए न्यायालय के आदेश दिनांक 30.6.21 को ताफैलादावा स्थाई किये जाने का निवेदन किया। तथा वकील अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 7 ने अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहरातेहुए न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेघाज्ञा दिनांक 30.6.21 को अपास्त किये जाने निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी विवादित आराजी सम्वत 2073–76 के अवलोकन से साबित है कि आराजी पक्षकारान की शामलाती आराजी है। जिस पर प्रत्येक इंच पर पक्षकारान के हक हकूक तय होते है।यह बात सही है कि पक्षकरान अपने –अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी पर कब्जा बताया है लेकिन किस तरफ किस दिशा में है ऐसा कुछ भी अपने जवाब दावा में या जबाब प्रार्थना पत्र में नही लिखा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अगर विवादित आराजी का विक्रय अप्रार्थीगण ने कर दिया तो प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी व अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेंगी जिसका नुकसान प्रार्थी को होगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में होना साबित होता है।

अतः दिनांक 30.6.21 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन किया जाकर अप्रार्थीगण को दावा फैसला होने तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख0न0171 रकबा 0.6500हे0, 220 रकबा 0.2300हे0, 238 रकबा 04700हे0, कुल किता 3 रकबा 1.3500हे0 वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढबास को रहन बय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल न करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

फैसला आज दिनांक 20.10.22 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)